प्रेस विज्ञप्ति
8/6/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने मलेशियाई नागरिक द्वारा की गई साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 05.06.2026 को किशनगढ़ (अजमेर), नागौर, जोधपुर तथा लुधियाना (पंजाब) स्थित 7 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में यह पाया गया कि पीओएस विक्रेताओं द्वारा भारतीय मोबाइल नंबरों को धोखाधड़ीपूर्वक सक्रिय कर मलेशियाई नागरिक को उपलब्ध कराया गया था, जिनका बाद में कंबोडिया से संचालन कर भारत में साइबर धोखाधड़ी करने में उपयोग किया गया।

ईडी ने साइबर पुलिस स्टेशन, डीसीपी (क्राइम), जोधपुर द्वारा कुछ पीओएस विक्रेताओं के विरुद्ध सिम कार्डों के दुरुपयोग के संबंध में दर्ज एफआईआर के आधार पर तलाशी आरंभ की। तलाशी में यह सामने आया कि सिम विक्रेताओं द्वारा भारत में हजारों भारतीय मोबाइल नंबर धोखाधड़ीपूर्वक सक्रिय किए गए थे, जिनका उपयोग कंबोडिया से व्हाट्सएप कॉलों के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों में साइबर धोखाधड़ी करने के लिए किया गया। लगभग 2.3 लाख मोबाइल नंबरों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कंबोडिया में लगभग 36,000 सिम कार्ड सक्रिय थे, जिनमें से लगभग 5,300 सिम कार्ड देशभर में सैकड़ों करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामलों में संलिप्त पाए गए।

तलाशी के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि राहुल कुमार झा, मोहम्मद शरीफ तथा संदीप भट्ट ने अन्य सिम विक्रेताओं, अर्थात् प्रकाश भील, रामावतार राठी, हरीश मलाकर तथा हेमंत पंवार के साथ मिलीभगत कर मलेशियाई नागरिकों को सैकड़ों सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे। इन सिम विक्रेताओं के पास विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, जैसे एयरटेल, जियो एवं वीआई के पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) आईडी थे, जिनका उपयोग सिम कार्ड जारी करने एवं सक्रिय करने के लिए किया जाता था। आरोपियों ने कम शिक्षित एवं भोले-भाले व्यक्तियों को उनके सिम कार्ड पोर्ट कराने अथवा नए सिम जारी करने के बहाने निशाना बनाया। किंतु संबंधित सिम कार्डों को सक्रिय करते समय उन्होंने अतिरिक्त सिम भी सक्रिय कर लिए, जिन्हें बाद में राहुल कुमार झा एवं उसके सहयोगियों के माध्यम से प्रति सिम कमीशन के एवज में मलेशियाई नागरिकों को उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त, तलाशी अभियान के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज एवं अन्य सामग्री जब्त की गई है। लगभग 30 बैंक खातों की पहचान की गई है तथा आरोपित व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न चल एवं अचल संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है।

आगे की जाँच जारी है।